बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री संतलाल चौधरी, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, बेतिया सम्प्रति सेवानिृवृत्त सहायक श्रमायुक्त के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में प्रथम जॉच संकल्प संख्या–620 दिनांक–21.02.2007 को Resume करते हुए संकल्प संख्या–145 दिनांक–19.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार, अवर सचिव (श्रम पक्ष) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग का स्थानान्तरण हो जाने एवं विभागीय कार्यवाही का अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–145 दिनांक–19.01.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–2611 दिनांक–8.9.2015 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री विजय कुमार सिंह, उप सचिव का विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने एवं अंतिम जॉच प्रतिवेदन नहीं समर्पित किए जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–2611 दिनांक–8.9.2015 आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–2331 दिनांक–8.8.2016 द्वारा श्री भुवनेश्वर मिश्रा, अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री भुवनेश्वर मिश्रा, अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी का दिनांक 31.12.2016 को सामान्य सेवानिवृत हो जाने एवं अंतिम जॉच प्रतिवेदन नहीं समर्पित किए जाने के फलस्वरूप श्री संतलाल चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–2331 दिनांक–8.8.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, (श्रम पक्ष) श्रम संसाधन विभाग पूर्व की तरह इस विभागीय कार्यवाही के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बने रहेंगे।

2. संकल्प संख्या–2331 दिनांक–08.08.2016 इस अंश तक संशोधित समझा जाय।

3. उक्त संकल्प के शेष अंश पूर्ववत रहेंगे।

निबंधित

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री संतलाल चौधरी (आरोपित पदाधिकारी), सेवा निवृत सहायक श्रमायुक्त, छवि कमला सदन, आनन्दपुरी, पटना–800001 को **निबंधित डाक** से उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सौरभ जोरवाल)
सरकार के उप सचिव

कृ0पृ0उ0

75 Shankalp